न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/13

1. रामकिशन पुत्र श्री लादू,
2. छोटेलाल मीना पुत्र शंकरलाल मीना,
3. हरिराम मीना पुत्र श्री बसन्ताराम मीना,
4. रामशरण पुत्र जंगलाराम मीना,
5. ख्यालीराम मीना पुत्र जंगलाराम मीना,
6. नाथूराम मीना पुत्र लादूराम मीना,
7. नाथूराम सैनी पुत्र भूरा सैनी,
8. नानगराम पुत्र बुधाराम सैनी,
9. कन्हैयालाल जांगिड पुत्र उदाराम,
   निवासीयान ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. मक्खन लाल पुत्र गोपी प्रसाद जाति महाजन,
2. राधाबल्व पुत्र गोपी प्रसाद जाति महाजन,
3. श्रवण कुमार पुत्र गोपी प्रसाद जाति महाजन,
   निवासीयान ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर जरिये पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर रतीराम पुत्र बद्रीप्रसाद मीना, निवासी बानसूर, जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर दिनांक 19.04.2022 जिसके द्वारा असल रेस्पो. का प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी को बेजा व गलत प्रकार से स्वीकार कर आदेश पारित किया गया जो आदेश अपास्त किये जाने व अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने एवं अन्य दीगर दादरसी।

उपस्थित–

1. श्री कमल किशोर शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट .नं. 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 20.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के निर्णय दिनांक 19.04.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर में इस आशय का पेश कर पत्थरगढी करवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1009 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1010 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1011 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल किता 04 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी वर्णित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका हाल कब्जे काश्त खातेदार का त कर प्रार्थी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण आराजी वर्णित पर बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज एवं दाखिल रहकर बदस्तूर कार्य काश्त काबिज एवं दाखिल रहकर बदस्तूर कार्य काश्त उपयोग व उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित आराजी की पैमाईश तहसीलदार, थानागाजी के आदेश क्रमांक 2112–15 दिनांक 4.8.2021 की अनुपालना में नियमानुसार दिनांक 18.02.22 को करवा ली है। जो पैमाईश रिपोर्ट प्रा.पत्र संलग्न है। प्रार्थीगण की उक्तानुसार खातेदारी आराजी के चारों ओर तारबन्दी सुरक्षा दीवार नहीं है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी में आवारा पशु आये दिन घुसकर फसल व छायादार पेड–पौधों को तोडकर नश्ट कर देते है। जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान वहन, करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की उक्तानुसार आराजी की सुरक्षा हेतु मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर आराजी हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.03 है0, 1009 रकबा 0.01 है0, 1010 रकबा 0.03 है0, 1011 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर की प्रार्थीगण की उपस्थिति में मुताबिक पैमाईश पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 19.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामकिशन पुत्र लादू वगै0 द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर दिनांक 19.04.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1009 रकबा 0.1 हैक्टेयर, 1010 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1011 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थीगण/असल रेस्पोडेन्टान का मौके पर कोई कब्जा व काश्त नही है बल्कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर मिन अपीलान्टान का मौके पर कब्जा व काश्त है एवं मिन अपीलान्टान जो करीब 70 साल से अपने बुजुगों के समय से उक्त वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं मौके पर भी मिन अपीलान्टान का ही कब्जा व काश्त है जिस पर असल रेस्पो0 का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है लेकिन तहत अदालत तहसीलदार की गलत रिपोर्ट के आधार पर असल रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलोच्य आदेश पारित किये गये है जो इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 1009 रकबा 0.1 हेक्टेयर, 1010 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1011 हेक्टेयर 0.01 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर से लगती हुयी मिन अपीलान्टान व अन्य खातेदारान की आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 0.86 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा .08 हेक्टेयर, 403 रकबा 1.43 हेक्टेयर वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो लालपुरा व प्रतापगढ की सीमा से लगते हुये है। असल रेस्पोडेन्टान द्वारा विवादित वर्णित आराजी जिस पर मिन अपीलान्टान का ही कब्जा है जिस पर असल रेस्पो0 द्वारा तहसीलदार साहब थानागाजी जिला अलवर से मिलीभगत व साज बाज होकर मिन अपीलान्टान की आराजी पर कब्जा करने की नियत से व आराजीयात की आराजी पर कब्जा करने की नियत से व आराजीयात को दबाने के लिये गलत पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें मिन अपीलान्टान का ना तो सुना गया और ना ही मिन अपीलान्टान की मौजूदगी में कोई मौका रिपोर्ट/पैमाईश रिपोर्ट तैयार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की गई तथा बाला बाला तरीके से मौका रिपोर्ट/पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई है। उपरोक्त विवादित आरीजयात के राजस्व रिकोर्ड में असल रेस्पो0 का नाम अंकित है लेकिन असल रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है जिस पर मिन अपीलान्टान का कब्जा व काश्त है एवं वर्तमान में भी मिन अपीलान्टान उस पर खेती बाडी व काश्त कर रहे हैं। उक्त तथ्य एवं कानूनी बिन्दु पर गौर नही करके भारी कानूनी भूल की है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.04.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर दिनांक 19.04.2022 निरस्त किया जावे। रेसपोडेन्ट द्वारा जानबूझकर मिन अपीलान्टान को उक्त मुकदमे में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि मिन अपीलान्टान के विवादित आराजी में हक व अधिकार निहित है इसलिये मिन अपीलान्टान को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के आदेश की प्रति प्राप्त हुई है। अपील प्रस्तुत किये जाने में 28 दिन का जो विलम्ब कारित हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय ापथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुयी है उसे क्षमा कन्डोन किया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर में इस आशय का पेश कर पत्थरगढी करवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1009 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1010 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 1011 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल किता 04 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी वर्णित पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका हाल कब्जे काश्त खातेदार का त कर प्रार्थी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण आराजी वर्णित पर बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज एवं दाखिल रहकर बदस्तूर कार्य काश्त काबिज एवं दाखिल रहकर बदस्तूर कार्य काश्त उपयोग व उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित आराजी की पैमाईश तहसीलदार, थानागाजी के आदेश क्रमांक 2112–15 दिनांक 4.8.2021 की अनुपालना में नियमानुसार दिनांक 18.02.22 को करवा ली है। जो पैमाईश रिपोर्ट प्रा.पत्र संलग्न है। प्रार्थीगण की उक्तानुसार खातेदारी आराजी के चारों ओर तारबन्दी सुरक्षा दीवार नहीं है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी में आवारा पशु आये दिन घुसकर फसल व छायादार पेड–पौधों को तोडकर नश्ट कर देते है। जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान वहन, करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की उक्तानुसार आराजी की सुरक्षा हेतु मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर आराजी हाल खसरा नमब्र 1008 रकबा 0.03 है0, 1009 रकबा 0.01 है0, 1010 रकबा 0.03 है0, 1011 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर की प्रार्थीगण की उपस्थिति में मुताबिक पैमाईश पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये गये। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हेतु आदेश दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 1009 रकबा 0.1 हेक्टेयर, 1010 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1011 हेक्टेयर 0.01 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर से लगती हुयी मिन अपीलान्टान व अन्य खातेदारान की आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 0.86 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा .08 हेक्टेयर, 403 रकबा 1.43 हेक्टेयर वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो लालपुरा व प्रतापगढ की सीमा से लगते हुये है। सीमाज्ञान अपीलान्ट एवं पडौसी खातेदारान की मौजूदगी में कोई मौका रिपोर्ट/पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई है। तहत न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट कोई नोटिस जारी नहीं किया गये और ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः–अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर दिनांक 19.04.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।